Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय उच्च मार्ग ((एन.एच.ए.आई.) खण्ड का अधिशाषी अभियन्ता 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *27 जुलाई /* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की नागौर इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये मुकेश शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, नागौर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि विभाग में लगे उसके अनुबंधित वाहन के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में बतौर कमीशन मुकेश शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, नागौर द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की नागौर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रमेश मौर्य** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मोहनसिंह** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुकेश शर्मा पुत्र श्री दिलीप सिंह बोहरा निवासी फ्लैट नं. 301, प्लाट नं. बी–20, ऐलिगेंट सुन्दरम, रूप विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर हाल अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग खण्ड, नागौर को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान आरोपी द्वारा रिश्वत की राशि 30–30 हजार रुपये की तीन किश्तों में लिया जाना स्वीकार कर परिवादी से 10 हजार रुपये पहले ही वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।